रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1216] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 2011/आषाढ़ 4, 1933
No. 1216] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 2011/ASADHA 4, 1933

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1454(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीशों सर्व/श्री यतिन दत्तात्रेय शिंदे और संजय आनंदराव देशमुख की अध्यक्षता में क्रमशः शहर सिविल और सत्र न्यायालय, बम्बई को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the City Civil and Sessions Courts, Bombay, presided over by Hon'ble S/Shri Yatin Dattatraya Shinde and Sanjay Anandrao Deshmukh, Judges, respectively, as the Special Courts for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Maharashtra.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1455(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीश श्री प्रदीप पंत, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Sessions Court, Dehradun, presided over by Hon'ble Shri Pradeep Pant, 3rd Additional District and Sessions Judge, Dehradun as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2013/आश्विन 11, 1935
No. 2316] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2013/ASVINA 11, 1935

गृह मंत्रालय
(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

का.आ. 2995(अ).—चूंकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 जून, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1454 (अ.) के द्वारा सिटी सिविल सेशन न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उद्देश्य से संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित अपराधों के मुकदमे चलाने के क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था।

तथा चूंकि श्री एस एम मोदक, सिटी सिविल न्यायालय, तथा अपर सेशन न्यायधीश, वृहद् मुंबई, जिन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु दिनांक 14 सितंबर 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 14 सितंबर, 2012 की अधिसूचना सं.-का.आ.2173 (अ.) द्वारा न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2167(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Ms. Rohini Salian, Advocate, Bombay High Court, as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Maharashtra.

[F. No.17015/4/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2168(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, असम राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री डी. के. दास, वरिष्ठ अधिवक्ता गुवाहाटी, उच्च न्यायालय को, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17015/4/2010 आई एस-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri D.K. Das, Senior Advocate, Guwahati High Court, as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Assam.

[F. No.17015/4/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2169(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, केरल राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री के. एन. रवीन्द्रन, अधिवक्ता तथा श्री एम. अजय, अधिवक्ता को, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17015/4/2010 आई एस-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri K. N. Ravindran and M. Ajay, Advocates, as Special Public Prosecutors for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Kerala.

[F. No.17015/4/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अतः इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 14 सितंबर 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 14 सितंबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.2173 (अ.) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई या करने हेतु छोड़ दी गई, माननीय मुख्य न्यायधीश, बॉम्बे उच्च न्यायलय की सिफारिश पर श्री सुधीर पुरूषोतम कुलकर्णी, सिटी सिविल न्यायालय एवं अपर सेशन न्यायधीश, वृहद् मुंबई को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV(भाग-I)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY–I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2013

S.O. 2995(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had, vide notification number S. O. 1454 (E), dated 25th June, 2011, published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 25th June, 2011, notified the City Civil and Sessions Court, Bombay, as a Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri S. M. Modak, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, who was appointed as a Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 2173 (E), dated 14th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th September, 2012, has been transferred.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act, and in supersession of the notification number S. O. 2173 (E), dated 14th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th September, 2012, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby appoints Sri Sudhir Purshotham Kulkarni, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Pt.1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2013

का.आ. 2996(अ).—चूंकि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2158 (अ.) के द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश-I पटना के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उद्देश्य से संपूर्ण बिहार राज्य में अनुसूचित अपराधों के मुकदमे चलाने के क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था।